रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2009/कार्तिक 1, 1931
No. 197] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2009/KARTIKA 1, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2009

सं. एल-7/143/158/2008-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस विभिन्न सामर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 7 का संशोधन** : मूल विनियमों के विनियम 7 के खंड (थ) में, "या अंतरा-राज्यिक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. **विनियम 9 का संशोधन** : मूल विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) में, "अंतरा-राज्यिक व्यापार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

4. **प्ररूपों का संशोधन** : मूल विनियमों से संलग्न प्ररुप IV-क, IV-ख और IV-ग कोइन विनियमों से संलग्न क्रमश: प्ररुप IV-क, IV-ख और IV-ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गये थे और भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, तारीख 2-6-2009 में प्रकाशित केंद्रीय विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार संशोधित किए गए थे ।

प्ररूप 4-क

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं0 तथा तारीख) :
मास :

क्र0स0	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रू0)	विक्रय कीमत (रू0)	व्यापार मार्जिन (रू0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* आरटीसी रात-दिन

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

प्ररूप 4-ख

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा कीमत (व्यस्ततम*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं0 तथा तारीख) :
मास :

क्र0स0	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से तक)	संव्यवहार का समय, घंटे (से तक)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रू0)	विक्रय कीमत (रू0)	व्यापार मार्जिन (रू0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

* 17.00 से 23.00 बजे तक सायंकालीन/व्यस्ततम अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंग का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

प्ररूप 4-ग

व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत (व्यस्ततम तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं0 तथा तारीख) :
मास :

क्र0स0	संव्यवहार की अवधि, तारीख (से)	संव्यवहार का समय, घंटे (से)	वास्तविक रूप से अनुसूचित मात्रा (एमयूएस)	निम्नलिखित से क्रय किया गया		निम्नलिखित को बेचा गया		क्रय कीमत (रु0)	विक्रय कीमत (रु0)	व्यापार मार्जिन (रु0)	टिप्पणियां
				विक्रेता* का नाम	राज्य	क्रेता* का नाम	राज्य				
अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अन्तर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार											
1.											
2.											
पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार											
1.											
2.											
कुल											

टिप्पण : (1) आंकड़ा संव्यवहार वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसका जोड़ नहीं किया जाना चाहिए ।

टिप्पण : (2) विक्रेता/क्रेता के नाम के अलावा, क्रेता/विक्रेता का प्रवर्ग उपदर्शित करें, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, उपभोक्ता (जब लागू हो) आदि ।

टिप्पण : (3) आंकड़ा विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंग का नाम, कानूनी जानकारी) ।

टिप्पण : (4) आंकड़ा आगामी मास की 10वीं तारीख तक मासिक आधार पर आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

टिप्पण : (5) आंकड़ा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव के वि.वि.आ. को हार्ड प्रति तथा ई.मेल द्वारा एक्सलशीट में शाफ्ट प्रति ।

टिप्पण : (6) विक्रेता/क्रेता आदि के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।